

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 285/2016 सत्रवाद

संस्थित दिनांक. 28.09.2016

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

1. विष्णू पुत्र स्व0 बाबूलाल अहिरवार, उम्र 25 वर्ष।
 2. पप्पी पुत्र स्व0 बाबूलाल अहिरवार, उम्र 30 वर्ष।
 3. मीना देवी पत्नी पप्पी, उम्र 30 वर्ष।
 4. रामदेवी पत्नी स्व0 बाबूलाल, उम्र 62 वर्ष।
- समस्त निवासी पुराना घनश्यामपुरा वार्ड क्रमांक
1 गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

-----अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क्र0. 109/2016 इ0फौ0
से उदभूत यह सत्र प्रकरण क्र0 285/2016

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्तगण द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता।

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 08-03-2017 को घोषित किया गया//

01. आरोपीगण का विचारण धारा 304बी विकल्प में धारा 302, 306 व 498ए भा.दं. वि. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 24.04.2016 या उसके करीब घनश्यामपुरा वार्ड न0 1 गोहद जिला भिण्ड क्षेत्र में मृतिका संध्या पत्नी विष्णू जाटव की सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा विवाह के सात वर्ष के अंदर मृत्यु कारित हुई जो कि आरोपी मृतिका के पति एवं पति के नातेदार होते हुए उसकी मृत्यु के पूर्व दहेज की मांग को लेकर और इस संबंध में कूरता कर परिपीडन कारित करते हुए संध्या की दहेज मृत्यु कारित की। आरोपीगण पर वैकल्पिक रूप से

यह भी आरोप है कि मृतिका संध्या की साशय या जानबूझकर मृत्यु कारित कर हत्या की एवं यह वैकल्पिक आरोप है कि मृतिका संध्या को दहेज की मांग को लेकर या अन्य प्रकार से परेशान एवं प्रताडित कर उसे आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया जिसके फलस्वरूप उसके द्वारा आत्महत्या की गई। आरोपीगण पर यह भी आरोप है कि दिनांक 24.04.2014 के पूर्व मृतिका संध्या के पति व पति के नातेदार रहते हुए उसे दहेज की मांग को लेकर व अन्य प्रकार से शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर क्रूरता कारित की। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर मृतिका संध्या व उसके पिता व परिवारवालों को दहेज की मांग एवं दहेज देने के लिए दुष्प्रेरित किया।

02. यह अविवादित है कि वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपी विष्णू मृतिका का पति है, आरोपिया रामादेवी उसकी सास एवं आरोपी पप्पी व मीना मृतिका संध्या के जेठ व जिठानी है। यह भी अविवादित है कि मृतिका का विवाह उसकी मृत्यु के साल पूर्व आरोपी विष्णू से हुआ था। यह भी अविवादित है कि मृतिका शादी के बाद अपने मायके आती जाती रहती थी।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 24.04.2016 को शाम 6 बजे सूचनाकर्ता पप्पी जो कि पुराना घनश्यामपुरा वार्ड क्रमांक 1 गोहद में निवास करता है के द्वारा उपस्थित थाना आकर बताया कि उसके छोटे भाई विष्णू की शादी चार साल पहले मोठ जिला झॉसी से हुई थी। शाम पांच बजे उसके बगल में रहने वाले प्रहलाद की बहू ने आकर उसे बताया कि विष्णू की बहू ने फाँसी लगा ली है तब वह, उसकी पत्नी व विष्णू ने कमरे में देखा तो नाइलोन की रस्सी से संध्या फाँसी लगाकर छत के कुंदे से लटकी थी तो विष्णू ने रस्सी काटकर उसे नीचे उतारा। उक्त आशय की सूचना पुलिस थाना गोहद में दी गई जो कि पुलिस ने मौके पर आकर मर्ग के संबंध में देहातीनालसी रिपोर्ट लेखबद्ध की और मर्ग की कायमी की गई। मर्ग कायमी कर मृतिका की लाश का नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया। घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। मृतिका के शादी के कार्ड एवं मृतिका व आरोपी विष्णू के विवाह की संयुक्त फोटो जप्त की गई। लाश का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतिका की माँ, भाई, चाचा व चाची निवासी ग्राम बम्हरोली थाना मोठ जिला झॉसी उ0प्र0 के कथन लेखबद्ध किए गए। जिनमें आया कि मृतिका को उसके पति विष्णू जेठ पप्पी, जिठानी मीना व सास रामदेवी निवासीगण पुराना घनश्याम पुरा वार्ड न0 1 गोहद द्वारा दहेज में 20000/- रुपए व मोटरसाइकिल की मांग कर मारपीट कर प्रताडित करते रहना और प्रताडित किये जाने के फलस्वरूप शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान होकर के मृतिका संध्या के द्वारा फाँसी लगा ली जिससे कि उसकी मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अंदर सामान्य

परिस्थितियों के अन्यथा होनी पाये जाने से धारा 304बी, 498ए, 34 भा0दं0वि0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध क्रमांक 109/16 पंजीबद्ध किया गया। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के द्वारा विवेचना की कार्यवाही की गई। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र आरोपीगण के विरुद्ध न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 304बी विकल्प में धारा 302, 306 व 498ए भा.दं.वि. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

05. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है।

06. आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या दिनांक 24.04.2016 को घनश्यामपुरा वार्ड न. 1 गोहद थाना गोहद जिला भिण्ड स्थित आरोपीगण के घर में मृतिका संध्या की मृत्यु हुई?
2. क्या मृतिका संध्या की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अंदर हुई?
3. क्या मृतिका संध्या की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा अस्वभाविक रूप से हुई है?
4. क्या मृतिका की मृत्यु के ठीक पूर्व आरोपीगण जो कि उसके पति व पति के नातेदार है के द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताडित कर उसके प्रति क्रूरता की गई?
5. क्या मृतिका की मृत्यु दहेज मृत्यु है?
6. क्या घटना दिनांक समय स्थान पर आरोपीगण के द्वारा मृतिका संध्या की साशय या जानबूझकर मृत्यु कारित कर हत्या की गई?
7. क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर मृतिका संध्या को आरोपीगण के द्वारा परेशान व प्रताडित कर उसे आत्महत्या करने के लिए दुष्टेरित किया गया?

8. क्या आरोपीगण के द्वारा दिनांक 24.04.2016 के पूर्व मृतिका संध्या के पति व पति के नातेदार रहते हुए उसे दहेज की मांग को लेकर व अन्य प्रकार से शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता कारित की?
9. क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर मृतिका संध्या व उसके पिता व परिवारवालों को दहेज की मांग एवं दहेज देने के लिए दुष्प्रेरित किया?

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 3 :-

07. मृतिका संध्या की मृत्यु का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में उपनिरीक्षक शिवप्रताप सिंह अ0सा0 7 के द्वारा बताया गया है कि दिनांक 24.04.2016 को पप्पी पुत्र बाबूलाल जाटव निवासी घनश्यामपुरा वार्ड नम्बर 1 गोहद के द्वारा सूचना दी गई कि उसके भाई की पत्नी संध्या घर के अंदर छत के कुंदे से फाँसी लगाकर खत्म हो गई है। उक्त सूचना पर घटनास्थल पर पहुँचकर मार्ग क्रमांक 0/2016 धारा 174 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत कायम किया गया था जो कि प्र.पी. 8 है जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। उपरोक्त संबंध में कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार गोहद को सूचना दी थी। उपरोक्त संबंध में तहसीलदार डी.के. पाण्डेय अ0सा0 10 जिन्होंने कि मृतिका के शव का पंचनामा बनाया है, उनके द्वारा मृतिका के गले में चारों ओर रस्सी का फंदा कसने का निशान दिखाना और उसके हाथों में प्लास्टिक का एक एक कड़ा और नाक में लॉग व गले में धागा होना बताया है। मृतिका का शव पंचनामा बनाया जाना भारतसिंह अ0सा0 5, आतमदास अ0सा0 6 के द्वारा भी बताया गया है जो कि पंचनामा प्र.पी. 6 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

08. उपरोक्त संबंध में डॉक्टर धीरज गुप्ता अ0सा0 8 के द्वारा दिनांक 25.04.2016 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ दौरान मृतिका संध्या पत्नी विष्णू जाटव निवासी घनश्यामपुरा गोहद का शव परीक्षण किया था। मृतिका का शरीर पोस्टमार्टम रूम में सीधा लेटा हुआ था, मृतिका नीले कलर की साड़ी, रानी कलर का ब्लाउज, काला पेटिकोट, दोनों हाथों में एक जोड़ा चूड़ी, सीधे हाथ में धागा, दोनों पैरों में बिछिया एवं गले में धागा था। मृतिका के दोनों हाथ, पैरों में रायगर मोटिस उपस्थित था, चेहरा बाईं तरफ मुड़ा हुआ था। एंटीमोर्टम लिगेचर मार्क गहरा भूरा कलर का था जिसका आकार 25 गुणा 0.5 से.मी. जो थायरोइड कोटिलेट के बीच में था जो कि तिरछा होकर दाईं तरफ गर्दन तरफ था। लिगेचर मार्क का डिसेक्शन करने पर स्किन पर पार्चमेंट लाईफ मार्जन

पाए गए एवं उसके नीचे इकायमोसिस थी। लिगेचर मार्क लेफ्ट मेस्टोयर्ड प्रोसेस से होते हुए गर्दन के पीछे की तरफ थे। महिला का शरीर कमजोर था, उसका कपाल और मेरुदण्ड सामान्य थे, उसके बछ व कण्ठ, स्वांसनली सिकुड़ी हुई सफेद जिलेसनेट थी। फेंफड़े कंजस्टेड थे, उसके उदर में पर्दा, आंतों की झिल्ली, मुँह तथा ग्रासनली सामान्य थी। मृतिका की छोटी आंत व बड़ी आंत में गैसेज थी। मृतिका का यकृत, प्लीहा, गुर्दा कंजस्टेड था, यूटेरस खाली एवं हेल्दी था। उसके विसरण साथ आए पुलिस आरक्षक को शील कर दे दिए थे। **अभिमत** में साक्षी के द्वारा बताया गया है कि मृतिका की मृत्यु **Asphyxia**(स्वांस अवरोध) जो कि एंटीमोर्टम हेगिंग के कारण थी। मृतिका की मृत्यु 18 से 36 घण्टे के अंदर की होना प्रतीत होती थी। उनके द्वारा तैयार पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र.पी. 12 है जिसके ए से ए भाग पर उनके एवं बी से बी भाग पर सहयोगी डॉक्टर विमलेश गौतम और सी से सी भाग पर हरेन्द्र मौर्य के हस्ताक्षर हैं।

09. मृतिका संध्या की मृत्यु के संबंध में साक्षी शीला अ0सा0 1 जो कि मृतिका की माँ है, गोविंदसिंह अ0सा0 2 जो कि मृतिका का भाई है, साक्षी रविन्द्र कुमार अ0सा0 3 एवं रामप्यारी अ0सा0 4 जो कि मृतिका के चाचा चाची हैं के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में इस आशय की सूचना मिलना कि संध्या फाँसी लगाकर खत्म हो गई है वह लोग आए थे और उन्होंने मृतिका संध्या की लाश को देखा था। साक्षी शीला अ0सा0 1 के द्वारा सूचक प्रश्नों के द्वारा इस बात स्वीकार की है कि उसने मृतिका संध्या की लाश को अस्पताल में देखा था जिसके फाँसी के निशान थे। इस प्रकार मृतिका संध्या की मृत्यु उसकी ससुराल के घर में दिनांक 24.04.2016 को होना जो कि इस संबंध में डॉक्टर धीरज गुप्ता के द्वारा भी उसकी मृत्यु **Asphyxia**(स्वांस अवरोध) से होने के संबंध में अभिमत दिया गया है।

10. इस प्रकार मृतिका संध्या की मृत्यु **Asphyxia**(स्वांस अवरोध) के फलस्वरूप होना उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। मृतिका की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण घटित हुई हो अथवा प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में उसकी मृत्यु हुई हो ऐसा भी कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है। ऐसी दशा में जबकि मृतिका की मृत्यु फाँसी लगने से होनी बताई गई है जो कि मृतिका की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में होना नहीं कहा जा सकता है, बल्कि उसकी मृत्यु अस्वभाविक परिस्थितियों में होनी पाई जाती है।

11. मृतिका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अंदर होने का जहाँ तक प्रश्न है। इस संबंध में साक्षी शीला अ0सा0 1, गोविंद अ0सा0 2, रविन्द्र कुमार अ0सा0 3 एवं रामप्यारी अ0सा0 4 सभी के द्वारा उसकी मृत्यु के तीन साल पूर्व उसका विवाह आरोपी विष्णू के साथ होना बताया है जो कि इस बिन्दु पर अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण के द्वारा

भी उक्त बात को स्वीकार किया गया है। इस संबंध में जॉचकर्ता/विवेचना अधिकारी एस.डी. ओ.पी. प्रवीण अष्ठाना अ0सा0 9 के द्वारा मृतिका की शादी का कार्ड और उसकी फोटो जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 3 तैयार करना बताया है। उक्त जप्ती पत्रक प्र.पी. 3 के अनुसार जप्त कार्ड में उसकी शादी दिनांक 02 जून, 2013 को संध्या का विवाह आरोपी विष्णू के साथ सम्पन्न होना स्पष्ट होता है। इस प्रकार मृतिका की मृत्यु विवाह के सवा तीन साल के अंदर ही उसकी मृत्यु होना स्पष्ट है जो कि विवाह के सात वर्ष के अंदर मृतिका की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा होना प्रमाणित होती है।

बिन्दु क्रमांक 4 लगायत 9 :-

12. मृतिका संध्या की मृत्यु की प्रकृति का जहाँ तक प्रश्न है इस संबंध में मृतिका की मृत्यु होने की सूचना के पश्चात् मृतिका के शव का पंचनामा बनाया गया है जो कि तहसीलदार एवं कार्यपालन दण्डाधिकारी डी0के0पाण्डेय अ0सा0 10 के द्वारा मृतिका के शव का पंचनामा तैयार करना उसके गले में चारो ओर रस्सी का फंदा कसने का निशान देखना एवं शरीर पर अन्य कोई चोट के निशान न होना उल्लेख किया है और इस संबंध में पंचनामा प्र.पी. 3 तैयार कर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। मृतिका की मृत्यु फॉसी लगाने के फलस्वरूप होना साक्षी शीला अ0सा0 1, गोविंद अ0सा0 2, रविन्द्र कुमार अ0सा0 3 एवं रामप्यारी अ0सा0 4 के कथन से भी स्पष्ट है। इस बिन्दु पर मृतिका की माँ शीला के द्वारा भी अपने परीक्षण में सूचक प्रश्नों के दौरान यह बताया है कि मृतिका के फॉसी के निशान थे। इस संबंध में मृतिका का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉक्टर धीरज गुप्ता अ0सा0 8 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में मृतिका की मृत्यु **Asphyxia** (स्वांस अवरोध) के कारण होना बताया है, जो कि उनके अनुसार एंटीमोटम हेगिंग के कारण 18 से 36 घण्टे के अंदर मृतिका की मृत्यु होना बताया है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है।

13. उपरोक्त संबंध में उपनिरीक्षक शिवप्रतापसिंह अ0सा0 7 जो कि घटना की सूचना मिलने के पश्चात् उसी दिन घटनास्थल पर पहुँचा और जिनके द्वारा देहातीनालसी पर मार्ग कायम किया गया है के द्वारा घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 10 तैयार करना बताया है। इसके अतिरिक्त मृतिका का शव जिस कमरे की छत के कुंदे से लटका था उसमें एक रस्सी नीले रंग की प्लास्टिक की जप्त की थी जिसका टुकड़ा 6 फिट का था, कुंदे से निकाला गया था। इस संबंध में जप्ती पत्रक प्र.पी. 7 होना और उसके बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त शीलबंद डिब्बा जिसमें कि मृतिका लिवर,

किडनी, हर्ट, स्टोमच व नमक के थैली में लेपित किया गया था जो कि आरक्षक द्वारा लाकर पेश करने पर जप्ती पत्रक प्र.पी. 11 के अनुसार जप्त किया गया था।

14. प्रकरण में पूर्ववती विवेचना से स्पष्ट है कि मृतिका संध्या की मृत्यु **Asphyxia**(स्वांस अवरोध) जो कि फॉसी लगाने के कारण विवाह के सात वर्ष के अंदर होना प्रमाणित है। अब सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि क्या मृतिका संध्या की मृत्यु के ठीक पूर्व आरोपी जो कि उसका पति एवं पति के नातेदार है उनके द्वारा दहेज की मांग को लेकर या इस संबंध में मृतिका को तंग कर कूरता का व्यवहार किया गया? वैकल्पिक रूप से यह भी विचारित है कि क्या मृतिका की साशय या जानबूझकर मृत्यु कारित कर हत्या की गई है? वैकल्पिक रूप से यह भी विचारणीय है कि क्या किसी दुष्प्रेरण के फलस्वरूप उसके द्वारा आत्महत्या की गई?

15. मृतिका संध्या को साशय या जानबूझकर आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा किसी प्रकार से जलाया गया हो जिससे कि उसकी मृत्यु कारित हुई हो ऐसा कहीं भी किसी अभियोजन साक्षी की साक्ष्य में नहीं आया है और न ही प्रकरण में किसी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर इसकी पुष्टि होती है। मृतिका की मृत्यु किसी बीमारी के कारण प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में हुई है अथवा उसकी किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई हो ऐसा भी कहीं प्रमाणित नहीं है। ऐसी स्थिति में जबकि मृतिका संध्या की मृत्यु **Asphyxia**(स्वांस अवरोध) के कारण हुई है जैसा कि इस संबंध में आए हुए साक्षियों के कथनों एवं विवेचना से स्पष्ट है। निश्चित तौर से किसी महिला की फॉसी लगाने के फलस्वरूप उपरोक्त प्रकार से हुई मृत्यु उसकी स्वभाविक मृत्यु होनी नहीं कही जा सकती, बल्कि मृतिका की मृत्यु **Asphyxia** (स्वांस अवरोध) के फलस्वरूप सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा उसकी मृत्यु होना प्रमाणित पाया जाता है।

16. दहेज मृत्यु के संबंध में धारा 304बी भा0दं0वि0 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार— 'जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति के द्वारा कारित की जाती है या सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा विवाह के 7 वर्ष के भीतर हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में, उसके साथ कूरता की थी या उसके तंग किया था वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जायेगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जायेगा। उक्त धारा के स्पष्टीकरण के अनुसार इस उपधारा के प्रयोजन के लिए दहेज का वही अर्थ है जो कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1981 की धारा 2 में है।

17. इस संबंध में धारा 113बी साक्ष्य अधिनियम भी उल्लेखनीय है जो कि दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा के संबंध में प्रावधान करता है जिसके अनुसार— “जब प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है और यह दर्शित किया गया है कि मृत्यु के ठीक पहले उसे उस व्यक्ति के द्वारा दहेज की मांग के संबंध में परेशान किया गया था अथवा उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया था, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की।”

18. इस प्रकार धारा 304बी भा0दं0वि0 हेतु आवश्यक तथ्य निम्न प्रकार है—

1. किसी स्त्री की मृत्यु दाय या शारीरिक क्षति के द्वारा या सामान्य परिस्थिति के अन्यथा कारित हुई हो।
2. मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अंदर हुई हो।
3. मृत्यु पूर्व उसके पति या पति के किसी नातेदार के द्वारा उसके साथ क्रूरता की गई हो या उसे तंग किया गया हो।
4. उक्त क्रूरता या तंग करने का कृत्य दहेज की मांग को लेकर या उसके संबंध में किया गया हो।
5. इस प्रकार की क्रूरता या तंग करने का कृत्य उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व किया गया हो।

यदि उपरोक्त तत्वों की पूर्ति हो जाती है तो दहेज मृत्यु कही जायेगी और ऐसा पति या पति के नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाले समझे जायेगा।

19. धारा 2 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1981 जिसके अंतर्गत दहेज को परिभाषित किया गया है उसके अनुसार कोई भी संपत्ति या मूल्यवान् प्रतिभूति जो कि विवाह के समय या उसके पूर्व या उसके पश्चात् पक्षकारों के विवाह के संबंध में विवाह के पक्षकार या उसके माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार या उसके माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति को या तो दी गई हो या दी जाने का करार किया गया है उसे दहेज कहते हैं, लेकिन इसमें मेहर शामिल नहीं है। इस प्रकार उक्त प्रावधान के अंतर्गत दहेज की मांग केवल विवाह के पूर्व या विवाह के समय तक सीमित नहीं है विवाह के बाद भी मांग उसमें शामिल है। विवाह संपन्न होने के बाद की गई मांग भी दहेज मानी जायेगी, जैसा कि इस बिन्दु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **स्टेट ऑफ आन्ध्रप्रदेश वि० राजगोपाल ए.आई.आई.आर 2004 एस.सी. 1933** में स्पष्ट किया है।

20. उपरोक्त वैधानिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि यदि धारा 304बी भा0दं0वि0 के अंतर्गत दर्शाए गए आवश्यक तत्वों की पूर्ति हो जाती है तो इस संबंध में

धारा 113बी साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत दहेज में मृत्यु की उपधारणा की जायेगी। इस परिप्रेक्ष्य में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार किया जाना उचित होगा।

21. दहेज मृत्यु के संबंध में कोई चक्षुदर्शी साक्षी मौजूद होने की अपेक्षा साधारणतः नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस प्रकार की घटना घर के चार दीवारों के अंदर होती है और वहाँ पर कोई चक्षुदर्शी साक्षी घटना देख रहा हो ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इस संबंध में मृतिका के मायके पक्ष के जिनको कि मृतिका के द्वारा इस संबंध में बताया गया है उनके साक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

22. अभियोजन की ओर से मृतिका के मायके पक्ष जिनको कि मृतिका के द्वारा उसकी मृत्यु के पूर्व आरोपीगण के द्वारा दहेज की मांग को लेकर परेशान व प्रताड़ित करने की बात बताया जाना अभियोजन अभिकथित कर रहा है। उसकी माँ शीला अ0सा0 1, भाई गोविंद अ0सा0 2, चाचा रविन्द्र अ0सा0 3 और चाची रामप्यारी अ0सा0 4 के कथन कराए हैं। अभियोजन साक्षी शीला अ0सा0 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि उसकी लडकी संध्या के द्वारा मृत्यु के ठीक पूर्व आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा दहेज की मांग करने अथवा दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान व प्रताड़ित करने के संबंध में कोई बात नहीं बताई है। उक्त साक्षिया को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी उसके कथनों में कहीं भी इस तथ्य का कि उसकी लडकी को आरोपीगण दहेज की मांग करते थे और दहेज की मांग को लेकर उनके द्वारा उसे परेशान प्रताड़ित करने के संबंध में कोई कथन नहीं आया है। यद्यपि साक्षिया पक्षद्रोही घोषित किए जाने के पश्चात् यह स्वीकार की है कि जब संध्या खत्म हुई थी तो वह, उसका देवर, लडका गोविंद और देवरानी गोहद आए थे और अस्पताल में लडकी की लाश देखी थी, उसके गले में फाँसी के निशान थे और इस बात को भी स्वीकार की है कि संध्या के ससुराल वालों को पूछने पर उन्होंने कुछ नहीं बताया था। उक्त साक्षिया प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार की है कि विवाह के बाद उनकी लडकी कई बार उनके यहाँ आई थी, लेकिन इस दौरान उसने अपनी ससुराल वालों के द्वारा दहेज मांगने या इस हेतु उसे परेशान व प्रताड़ित करने के संबंध में कोई बात नहीं बताई थी।

23. उपरोक्त बिन्दु पर अन्य अभियोजन साक्षी गोविंद अ0सा0 2, रविन्द्र अ0सा0 3, रामप्यारी अ0सा0 4 के कथन में भी कहीं भी यह बात नहीं आई है कि आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की मांग को लेकर मृतिका संध्या को परेशान व प्रताड़ित किया गया या दहेज की कोई मांग की गई। उक्त साक्षीगण को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान उनके

कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन या पुष्टि करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है। इस प्रकार उपरोक्त साक्षियों के कथनों में मृतिका संध्या से दहेज की मांग को लेकर उसे मृत्यु के ठीक पूर्व परेशान व प्रताड़ित किये जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन अथवा पुष्टि नहीं होती है।

24. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपने तर्क में मुख्य रूप से व्यक्त किया कि घटना के तुरन्त पश्चात् मृतिका के जेठ पप्पी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है जिसमें मृतिका की मृत्यु **Asphyxia**(स्वांस अवरोध) जो कि फॉसी लगाने के कारण असामान्य परिस्थितियों में हुई है। यद्यपि घटना के संबंध में उपरोक्त साक्षीगण के द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन उक्त बिन्दु पर नहीं किया गया है, किन्तु मृतिका की मृत्यु उसकी ससुराल के घर में संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई है। उसका विवाह हुए केवल तीन साल का समय बीता था। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी व्यक्त किया कि मृतिका की माँ शीला के द्वारा सूचक प्रश्नों के दौरान इस बात को स्वीकार किया गया है कि जब वह संध्या के ससुराल पहुँचे और संध्या के ससुराल वालों से उसकी मृत्यु के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। घटना कोई दुर्घटनात्मक प्रकार की भी नहीं है। ऐसी दशा में घटना के संबंध में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि मृतिका की दहेज हत्या की गई और वैकल्पिक रूप से यह प्रमाणित होता है कि मृतिका की साशय या जानबूझकर मृत्यु कारित कर हत्या की गई है।

25. अभियोजन के द्वारा बतायी जा रही परिस्थितियों का जहाँ तक प्रश्न है, यद्यपि घटना की सूचना जो कि देहातीनालसी के रूप में मृतिका के जेठ अथवा आरोपी पप्पी के द्वारा घटना दिनांक को ही दर्ज कराई गई है, जिसमें कि मृतिका की मृत्यु फॉसी लगाने से होने का उल्लेखित किया गया है, किन्तु इस संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों के द्वारा इस बिन्दु पर कोई कथन नहीं किया गया है। यद्यपि देहातीनालसी रिपोर्ट रिपोर्ट प्र.पी. 8 लेखबद्ध करना रिपोर्ट लेखक शिवप्रतापसिंह अ0सा0 7 के द्वारा प्रमाणित किया गया है, किन्तु उक्त साक्षी के कथनों के आधार पर रिपोर्ट में लिखाए गए तथ्यों की सम्पुष्टि होनी नहीं पाई जाती है।

26. यद्यपि यह सत्य है कि मृतिका की मृत्यु **Asphyxia**(स्वांस अवरोध) (फॉसी लगाने के कारण) उसकी ससुराल के घर में हुई है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि उसकी मृत्यु ससुराल के घर में फॉसी लगाने के फलस्वरूप हुई है, जबकि इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतिका की मृत्यु के ठीक पूर्व उसे दहेज की मांग को लेकर परेशान व प्रताड़ित किया गया हो। मात्र इस आधार पर कि उसकी मृत्यु **Asphyxia**(स्वांस अवरोध) जो कि

फॉसी लगाने के फलस्वरूप ससुराल के घर में हुई है। आरोपीगण के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता हेतु मात्र उक्त परिस्थितियों के आधार पर अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होनी नहीं मानी जा सकती। इस प्रकार प्रकरण में जो परिस्थितियाँ अभियोजन के द्वारा बताई जा रही हैं उन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में मृतिका की दहेज मृत्यु कारित होने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

27. जहाँ तक मृतिका की जानबूझकर साशय हत्या करने का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में भी कोई साक्ष्य नहीं है। इस बिन्दु पर चिकित्सीय अभिमत में भी मृतिका के गर्दन में जो निशान पाए गए हैं वह एंटीमोटम हेंगिंग के कारण होने बताया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में भी मृतिका को पहले मारकर फिर उसे फॉसी पर लटकाया गया हो ऐसा भी नहीं माना जा सकता है। इस बिन्दु पर मात्र मृतिका की माँ के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में सूचक प्रश्नों के दौरान यह बताने के आधार पर कि सूचना मिलने पर जब वह मृतिका की ससुराल पहुँची तो ससुराल वालों ने उसके पूछने पर कुछ नहीं बताया। इस आधार पर भी कोई विपरीत परिस्थिति मानते हुए मानते हुए आरोपीगण के विरुद्ध इस संबंध में अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है।

28. मृतिका संध्या को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में धारा 306 भा0दं0वि0 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो जो व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है उसे दण्ड के संबंध में प्रावधान किया गया है। दुष्प्रेरण को धारा 107 भा0दं0वि0 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। दुष्प्रेरण तीन प्रकार से हो सकता है। (i) उकसाने द्वारा (ii) षड्यंत्र द्वारा (iii) साशय, सहायता या लोप के द्वारा। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, वर्तमान प्रकरण में कोई भी ऐसी साक्ष्य नहीं आई है जिससे कि यह प्रमाणित होता हो कि आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा मृतिका को आत्महत्या करने हेतु दुष्प्रेरित किया गया हो जो कि इस बिन्दु पर प्रकरण में न तो कोई चक्षुदर्शी साक्ष्य है और न ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर इस बात की कोई पुष्टि होती है कि आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा मृतिका संध्या को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया है।

29. मृतिका संध्या को आत्महत्या करने हेतु दुष्प्रेरित करने के संबंध में भी कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है जिससे कि इस तथ्य की पुष्टि होती हो कि मृतिका को आत्महत्या करने के लिए आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा दुष्प्रेरित किया गया हो और दुष्प्रेरण के फलस्वरूप उसके द्वारा आत्महत्या की गई हो। इस बिन्दु पर मात्र साक्षी शीला अ0सा0 1 को सूचक प्रश्नों के दौरान पूछे जाने पर उसके द्वारा इस बात को सही होना कि संध्या के

ससुराल वालों ने पूछने पर कुछ नहीं बताया था, यह मानने का आधार नहीं हो सकता है कि उसकी ससुराल वालों के द्वारा उसे किसी प्रकार से आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया। यह हो सकता है कि उस समय अचानक मृतिका संध्या की मृत्यु होने के कारण उसकी ससुराल वाले अर्थात् आरोपीगण कोई बात न कह रहे हो। मात्र यह आधार कि वह चुप रहे थे उनके विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता का आधार नहीं हो सकता है।

30. जहाँ तक मृतिका संध्या के पति व पति के नातेदारों होते हुए उसे दहेज की मांग को लेकर या अन्य प्रकार से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके प्रति क्रूरता कारित किये जाने जिस कारण उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा, इस बिन्दु पर भी कोई ऐसी साक्ष्य नहीं आई है जिससे कि इस बात की पुष्टि होती हो कि मृतिका संध्या से आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा दिनांक 24.04.2016 से पूर्व दहेज की कोई मांग की गई हो और दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके प्रति क्रूरता कारित की गई हो। मृतिका को मृत्यु कारित करने के लिए आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किये जाने के संबंध में भी अभियोजन प्रकरण की किसी साक्ष्य के आधार पर पुष्टि नहीं होती है। ऐसी दशा में मृतिका संध्या को दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके प्रति क्रूरता किये जाने के तथ्य भी उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

31. मृतिका संध्या से या उसके पिता व परिवार वालों से उसके विवाह के समय या विवाह के उपरांत आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा दहेज के संबंध में नगदी या वस्तु आदि की मांग करने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं आई है। इस संबंध में फरियादी शीला अ0सा0 1 जो कि मृतिका की माँ के द्वारा मृतिका के विवाह के समय अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज देना बताया है, किन्तु कोई दहेज की मांग आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा विवाह के समय या विवाह के उपरांत की गई हो ऐसा कहीं भी अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में नहीं आया है। विवाह के समय यदि कोई दान दहेज आदि दिया भी गया है तो वह स्वेच्छया उसके परिवार वालों के द्वारा दिया गया है। किसी प्रकार की कोई मांग इस संबंध में की जानी प्रमाणित नहीं है।

32. इस प्रकार प्रकरण में आई हुई समग्र अभियोजन साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है कि मृतिका संध्या को उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा दहेज की मांग को लेकर या इस संबंध में किसी प्रकार से प्रताड़ित कर उसके प्रति क्रूरता का व्यवहार किया गया। प्रकरण में आई हुई अभियोजन साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा मृतिका की साशय या जानबूझकर

मृत्यु कारित कर हत्या करने के संबंध में वैकल्पिक रूप से लगाए गए आरोप तथा मृतिका को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किये जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं पाई जाती है। आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा मृतिका को उसके विवाह के उपरांत दहेज की मांग को लेकर या अन्य किसी प्रकार से परेशान या प्रताड़ित कर उसके प्रति क्रूरता किया जाना अथवा मृतिका या उसके परिवार वालों से विवाह के समय या विवाह के उपरांत दहेज की कोई मांग करने के संबंध में भी अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं पाई जाती है।

33. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन अपना प्रकरण आरोपीगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः आरोपीगण को आरोपित धारा 304बी विकल्प में धारा 302, 306 व 498ए भा.दं.वि. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

34. प्रकरण में जप्तशुदा रस्सी हल्की नीले रंग की प्लास्टिक जिसकी लम्बाई 6 फिट, एक रस्सी का टुकड़ा, मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

(डी0सी0थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)